



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234812
CG-DL-E-04042022-234812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944

No. 93]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2022

ईओ नंबर 44873.—भारत सरकार ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, सामाजिक समझ को बढ़ावा देने और भारत में कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसा कि पुरस्कार के लिए प्रक्रिया संहिता की धारा VI के तहत प्रदान किया गया है, भारत सरकार ने जूरी का गठन किया है जिसमें शामिल हैं: -

(क)	भारत के उपराष्ट्रपति (पदेन)	अध्यक्ष
(ख)	भारत के मुख्य न्यायाधीश (पदेन)	उपाध्यक्ष
(ग)	श्री उदय माहूरकर, केंद्रीय सूचना आयुक्त (एक प्रतिष्ठित पत्रकार)	सदस्य
(घ)	प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष यूजीसी (एक प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य
(च)	डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले, सदस्य NHRC (भारत में सार्वजनिक जीवन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति)	सदस्य

(छ)	प्रो टीवी कट्टिमणि, कुलपति केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एपी (भारत में सार्वजनिक जीवन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति)	सदस्य
(ज)	श्री मिलिंद कांबले, डिक्की, (कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया)	सदस्य
(झ)	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (पदेन)	सदस्य सचिव

2. जूरी के लिए विचारार्थ विषय हैं:-

- (क) महिला, पुरुष और संस्था/संगठन या महिलाओं के समूह/पुरुष और संस्था/संगठन का चयन जिन्हें प्रत्येक को रुपये 10 लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक समझ को बढ़ावा देने और भारत में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा।
- (ख) 10 लाख रुपये के महिला, पुरुष और संस्थान/संगठन की श्रेणियों के तहत प्रत्येक में तीन पुरस्कार प्रदान करने पर विचार करें। 10 लाख प्रत्येक या संयुक्त रूप से एक से अधिक प्राप्तकर्ता या संगठन द्वारा साझा किया जाएगा, यदि वे जूरी की राय में, वर्ष में समान रूप से मान्यता के योग्य हैं।
- (ग) नामांकन से ठीक पहले पिछले दस वर्षों की अवधि के भीतर केवल महिलाओं, पुरुषों और संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करें। हालाँकि, पहले के योगदानों पर भी विचार किया जा सकता है यदि इसका महत्व स्थायी प्रकृति का रहा हो।
- (घ) संलग्न योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार विजेता का चयन करें। सरकार द्वारा स्थापित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, समय-समय पर संशोधित।

3. पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा जूरी का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा।

4. टीए/डीए, आदि के लिए जूरी के गैर-सरकारी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। क्रमांक F6 (2c).A/IV/59 दिनांक 5 सितंबर, 1960, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। हालाँकि, वे अपने विवेक पर हवाई यात्रा करने के हकदार होंगे।

उपमा श्रीवास्तव, सचिव (एनसीएससी) और सदस्य सचिव (डीएएफ)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April, 2022

EO No. 44873.—The Government of India has instituted Dr. B.R. Ambedkar National Award for outstanding contribution to the promotion of Social Understanding and for the upliftment of weaker sections in India. As provided under Section VI of the Code of Procedure for the Award, the Government of India have constituted the Jury consisting of :-

(a)	The Vice President of India (Ex-officio)	Chairperson
(b)	Chief Justice of India (Ex-officio)	Vice-Chairperson
(c)	Shri Uday Mahurkar, Central Information Commissioner (An eminent journalist)	Member
(d)	Prof M Jagdeesh Kumar, Chairman UGC (An eminent educationist)	Member

(e)	Dr. Dnyaneshwar Manohar Mulay, Member NHRC (An eminent persons from public life in India)	Member
(f)	Prof TV Kattimani, Vice Chancellor Central Tribal University AP (An eminent persons from public life in India)	Member
(g)	Shri Milind Kamble, DICCI, (Worked for the upliftment of weaker sections)	Member
(h)	Secretary, Department of Social Justice & Empowerment (Ex-officio)	Member Secretary

2. The terms of reference for the Jury are to :-

- (a) Selection of the Women, Man and Institution/organization or group of Women, Man and Institution/organization who shall be given the National Award each of Rs. 10 Lakhs for outstanding contribution to the promotion of Social Understanding and for the upliftment of the weaker sections in India.
- (b) Consider to confer three Awards one each under the categories of Women, Man and Institution/Organization of Rs. 10 lakhs each or jointly to be shared by more than one recipient or organization, if they are, in the opinion of the Jury, to be equally deserving of recognition in the year.
- (c) Consider only the contributions made by the Women, Man and Institution/organizations within the period of last ten years, immediately preceding the nominations. However, the earlier contributions may also be considered if its significance has been of abiding nature.
- (d) Select the Awardee, as per the provisions prescribed in the enclosed scheme of Dr. B.R. Ambedkar National Award instituted by the Government, and as amended from time to time.

3. The terms of the Jury other than the Ex-Officio Chairperson and Vice Chairperson shall be for a period of three years from the date of its constitution.

4. For TA/DA, etc. the non-official members of the Jury will be covered by the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F6 (2c).A/IV/59 dated 5th September, 1960, as amended from time to time. However, they will be entitled to travel by air at their discretion.

UPMA SRIVASTAVA, Secy. (NCSC) & Member Secy. (DAF)